भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2988**
उत्तर देने की तारीख **06** अगस्त**, 2025**

त्वरित सेवा और कनेक्टिविटी का सक्रिय उपयोग

2988. श्रीमती भारती पारधीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतनेट परियोजना में कई बार देरी हुई है और क्या वर्ष 2014, 2015, 2019 और 2023 के लिए निर्धारित समय-सीमाएँ समाप्त हो चुकी हैं;
(ख) यदि हाँ, तो 100% ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए निर्धारित संशोधित समय-सीमा क्या है;
(ग) विशेष रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों में और अधिक देरी से बचने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत लक्षित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की, विशेष रूप से जुलाई 2025 तक प्रदान की गई कनेक्टिविटी के त्वरित सेवा और सक्रिय उपयोग के संबंध में, मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ) क्या कैग और अन्य रिपोर्टों ने भारतनेट के अंतर्गत निधियों और निर्मित बुनियादी ढाँचे के कम उपयोग को उजागर किया है; और
(च) यदि हाँ, तो मौजूदा बुनियादी ढाँचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और लक्षित लाभार्थियों में जागरूकता और डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारतनेट एक मेगा परियोजना है, जो देश के दूरदराज इलाकों में व्यापक रूप से फैली हुई है, जिसमें दुर्गम इलाके (पहाड़ी/पथरीले) और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित कठिन पहुंच वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। भारतनेट चरण-I और चरण-II की परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि राज्य एजेंसियों से विशेष तौर पर वन क्षेत्रों में मार्ग के अधिकार की अनुमति प्राप्त करने में विलंब, कोविड-महामारी के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध, पानी की पाइप लाइन बिछाने, सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण गतिविधियों जैसे विकास कार्यों के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) को नुकसान। दिनांक 30.06.2025 तक, भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत नियोजित 2,22,343 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

इस बीच, अगस्त 2023 में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में बीएसएनएल की नियुक्ति करना, निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य नेटवर्क संचालन केंद्र (एनओसी) की स्थापना, ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत तक रिंग टोपोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। सरकार ने दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है जिससे आरओडब्ल्यू मंजूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत निर्माण चरण को पूरा करने की समय-सीमा करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन वर्ष है और उसके बाद सात वर्षों के लिए प्रचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) का कार्य शुरू होगा।

(घ) मध्य प्रदेश सहित देश भर में भारतनेट के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या 2,14,325 है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) भारतनेट पर कोई सीएजी ऑडिट रिपोर्ट इस मंत्रालय को आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

*****